न्यायालय सहायक कलक्टर, पिण्डवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह,आर.ए.एस.

1. श्री बाबु पुत्र नारायण जाति–घांची, निवासी–रोहिड़ा .... वादी

बनाम

1. श्रीमती दीपिका उर्फ गुन्नीबाला पत्नी गिरिज कुमार जाति–ब्राह्मण, निवासी–रोहिड़ा
2. श्री तिलोकर पुत्र मगनलाल जी, जाति–जॉनी ब्राह्मण, निवासी–रोहिड़ा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा .... प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 91, 92(क) व धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या : 61/2012

उपस्थिति : –

1. श्री उमेश पटेल, अधिवक्ता
2. श्री विक्रम सिंह परमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दिनांक : 28/10/2020

–: निर्णय :–

हस्तगत वाद वादी ने अन्तर्गत धारा 88,91,92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया कि मौजा रोहिड़ा पटवार हल्का रोहिड़ा प्रथम तहसील पिण्डवाड़ा में खसरा नम्बर–3829, 3830, 3831, 3832, 3833 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा किस्म नहरी–1 स्थित है। उक्त आराजी में परिवादी पिछले 46 वर्षों से काबिज काश्त है। वादी 30 साल तक खातेदारान को फसल का भाग अदा करता आ रहा है। उसके बाद जरिये बेचान तिथि 12.06.1997 व 08.06.1998 को सम्पूर्ण आराजी को क्रय कर लिया। वादी ने उपरोक्त आराजी के खसरा नम्बर–3829 रकबा 0–13 बीघा में वर्ष 1982 में कुआ खुदवाया व डीजल इंजन भी लगवाया एवं खसरा नम्बर–3832 में भी पिछले 46 वर्षों से काबिज काश्त रहा है। दौराने गिरदावरी पटवारी ने बताया कि खसरा संख्या–3832 वादी के नाम से नहीं है तब वादी ने पूर्व खातेदारों से उक्त खसरे को उसके नाम करने का आग्रह किया लेकिन उस[illegible]ीयन नहीं करवाया। वादी के कब्जे काश्त आराजी–3832 रकबा [illegible] .07.2012 को प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या–1 के [illegible] बिना रजिस्ट्री करवा[illegible]

प्रतिवादी की ओर से पेश अपने जवाबदावा में क[illegible] है कि उक्त आराजी [illegible] बीघा का खसरा नम्बर–3832 प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज है जो विक्रय विलेख में रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

बिघा पंच रोडवाल ब्राह्मण से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 27.07.2012 में खरीद की। वादी का प्रतिवादी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कब्जा नहीं रहा है। वादी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त भूमि पर पंच रोडवाल ब्राह्मण समाज का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त रहा है। अन्य समस्त कथनों को प्रतिवादीगणों ने अस्वीकार किए। वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

दावा एवं जवाबदावा अनुसार वाद में निम्न विवाद्यक विरचित किए गए।

1:– आया वादी मौजा रोहिडा पटवार हल्का रोहिडा में खसरा 3832 रकबा 0–13 बिघा किस्म नहरी –1 का प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

.........जिम्मे वादी.....

2:– आया वादी वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

.........जिम्मे वादी.....

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य के तौर पर स्वयं वादी बाबु का साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 गवाह नैनाराम का शपथ पत्र PW-2 , गवाह देवाराम का शपथ पत्र PW-3 पेश किए जो शामिल पत्रावली है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुए कथन किया कि वादी प्रश्नगत आराजी 3832 पर निर्बाध काबिज काश्त होने, भुलवश विक्रय विलेख के उक्त खसरा छूट जाने एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने बहस में कथन किया कि वादी ने जिस खसरों को न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया है उनका आदिनांक तक रेकर्ड ऑफ राइट (जमाबंदी) न्यायालय के समक्ष पेश तक नही की है। अतः वाद काबिल खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन करते हुए सुसंगत विविध प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का विवाद्यकों के अनुसार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एवं उचित समझते है जो निम्नानुसार है–

1. आया वादी मौजा रोहिडा पटवार हल्का रोहिडा में खसरा 3832 रकबा 0–13 बीघा किस्म नहरी–1 का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी को थी। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र के साथ–साथ दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किए। एक अहस्ताक्षरित खर्च के ब्यौरा का हस्तलिखित [illegible] एवं तहसीलदार पिण्डवाडा को सम्बोधित एक प्रार्थना पत्र [illegible] उक्त प्रश्नगत खसरे के पंजीयन को रोकने की प्रार्थना की गई है, पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

हमारी विनम्र राय में उक्त पेश मौखिक व दस्तावेजी के परीक्षण से पूर्व जिस प्रश्नगत खसरे हेतु वाद लाया गया है उसकी जमाबंदी का होना जरूरी है जिसका कथन अभिभाषक प्रतिवादी भी ने किया है। वही प्रतिकुल कब्जा साबित करने की

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा

स्थिति में भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। अतः यह विवाद्यक विरूद्ध वादी एवं बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

पूर्व निर्णित विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है अतः यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित होना स्वाभाविक है। तनकी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाति है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवाद्यको के पृथक—पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88,91,92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वावत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मौजा रोहिडा पटवार हल्का रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के आराजी खसरा सं. 3832 रकबा 0—13 बीघा किस्म नहरी—1 भूमि वादी के पक्ष में भलीभांति साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से वाद खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह)
सहायक कलक्टर, पिण्डवाडा
सहायक कलक्टर, पिण्डवाडा

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक— 28/10/2020 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह)
सहायक कलक्टर, पिण्डवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested